संख्या-DFA/414788/38-7099(99)/43/2022

प्रेषक,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व मेरठ को छोडकर),
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 25 फरवरी, 2023

विषय- सोशल आडिट प्रक्रिया के पारदर्शी एवं प्रभावी संचालन के संबंध में ध्यानाकर्षण बिन्दु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि ग्राम्य विकास विभाग की दो अत्यन्त महत्वपूर्ण योजनाओं क्रमश: महात्मा गांधी नरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सोशल आडिट कार्य प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में पहली बार शतप्रतिशत ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान कतिपय ऐसे बिन्दु प्रकाश में आते है, जिनका ससमय निस्तारण अति आवश्यक है। भारत सरकार के स्तर पर भी इन बिन्दुओं की समीक्षा समय-समय पर की जाती है, जिसका उल्लेख निम्नानुसार है-

1. सोशल आडिट के अन्तर्गत वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों की ससमय ए0टी0आर0 अपलोड करायी जाय।

2. ए0टी0आर0 में वसूली योग्य प्रकरणों के सापेक्ष ससमय वसूली करायी जाय।
3. जो प्रकरण वसूली योग्य नहीं पाये जाते उनके संबंध में सप्रमाण आख्या जिलाधिकारी के स्तर से शासनादेश संख्या-1641/अडतीस-7-2019 - 324 नरेगा/2012 टीसी-1, दिनांक 12-07-2019 एवं सोशल आडिट निदेशालय के पत्रांक-191/सो0आ0नि0-3/474(III)/2022, दिनांक 14-06-2022 एवं पत्रांक- 908/सो0आ0नि0-3/474(III)/ 2022, दिनांक 30-12-2022 के क्रम में सोशल आडिट निदेशालय को प्रेषित की जाय। (छायाप्रति संलग्न)
4. कार्यदायी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी सोशल आडिट की ग्रामसभाओं के बैठक में पाये गये प्रकरणों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्यतया उपस्थित नहीं होते, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित है।
5. इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाना है कि जनपद में एम0आई0एस0 पर अपलोड ए0टी0आर0 में की गयी वसूली की कार्यवाही संतोषजनक नहीं है, इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। एम0आई0एस0 पर अपलोड ए0टी0आर0 मे अब तक की गयी वसूली की जनपदवार सूची संलग्न कर प्रेषित है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपना व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए उपर्युक्त बिन्दुओं पर यथाशीघ्र अपेक्षित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हिमांशु कुमार)
प्रमुख सचिव।

I/280596/2023

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0।

3- गार्डबुक।

आज्ञा से,

Signed by हिमांशु कुमार

Date: 24-02-2023 17:17:25

Reason: Approved

(हिमांशु कुमार)

प्रमुख सचिव।